



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक 297/02व्यघ-सामान्य/16

दिनांक - 09/06/2018

:कार्यालय ज्ञापः

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न मानचित्रकर को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।


| क्र० सं० | नाम/पदनाम | वर्तमान तैनाती | नवीन तैनाती | स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा |
|----------|---------------------|---------------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री दीपक सिंह तोमर | निर्माण खण्ड, नरेन्द्रनगर | निर्माण खण्ड, चम्बा | 17 (1) (क) |

- 1 सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- 2 संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- 4 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी

आज्ञा से
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, टिहरी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, 08 वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी।
4. मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी.....।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर/चम्बा।
6. सम्बन्धित कार्मिक।
7. आई0टी0 हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
8. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


(सत्येन्द्र शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)



पत्रांक 298 / 02व्यघ-सामान्य / 16

दिनांक - 09/06/2018

:कार्यालय ज्ञापः

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न मानचित्रकर को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

| क्र० सं० | नाम/पदनाम | वर्तमान तैनाती | नवीन तैनाती | स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा |
|----------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री अजय शाह | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड हल्द्वानी | प्रान्तीय खण्ड, चम्पावत | 17 (1) (क) |

- 1 सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- 2 संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- 4 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी

आज्ञा से
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग/क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, हल्द्वानी/पिथौरागढ़।
3. अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग /सिविल वृत्त, लो०नि०वि०, हल्द्वानी/चम्पावत।
4. मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी.....।
5. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो०नि०वि०, हल्द्वानी।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, चम्पावत।
7. सम्बन्धित कार्मिक।
8. आई०टी० हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
9. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

9.6.18
(सत्येन्द्र शर्मा)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)



पत्रांक 301 /02व्यघ-सामान्य/16

दिनांक - 09/06/2018

:कार्यालय ज्ञापः

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न मानचित्रकर को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं।

| क्र0 सं0 | नाम/पदनाम | वर्तमान तैनाती | नवीन तैनाती | स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा |
|----------|--------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री रविन्द्र सिंह बिष्ट | पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, कोटद्वार | प्रान्तीय खण्ड, पौड़ी | 17 (1) (क) |

- 1 सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- 2 संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- 4 स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी

आज्ञा से

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0/क्षेत्रीय कार्यालय लो0नि0वि0, देहरादून /पौड़ी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0/12 वॉ वृत्त/लो0नि0वि0, श्रीनगर/पौड़ी।
4. मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी.....।
5. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, कोटद्वार।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी।
7. सम्बन्धित कार्मिक।
8. आई0टी0 हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
9. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

(सत्येन्द्र शर्मा)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

